



**DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)**

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक : लो०आ०वि०/ सम्ब०/ 2019/ 796

दिनांक : ११ - १० - २०१९

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,

समस्त महाविद्यालय सम्बद्ध डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

**विषय:** आगामी सत्र 2020-21 के लिए अनापत्ति एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल गठन किये जाने हेतु आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पूर्व संचालित / नवीन महाविद्यालय में वांछित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता हेतु अनापत्ति एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में निरीक्षण मण्डल गठन किये जाने के लिए आनलाइन आवेदन निम्न समय-सारणी में उल्लेखित तिथियों के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र०	विवरण	अन्तिम चरण हेतु निर्धारित तिथि।
1.	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 दिसम्बर तक (1) 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के लिए जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र हेतु विचारणीय होंगे।
2.	विश्वविद्यालय में जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक 15 फरवरी तक
3.	अनापत्ति आदेश निर्गत किया जाना	दिनांक 28/29 फरवरी तक
4.	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 20 मार्च तक
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किया जाना	दिनांक 15 अप्रैल तक
6.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 मई तक
7.	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जून तक
8.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जुलाई तक

अतएव कृपया उक्त समय सारणी में उल्लेखित तिथियों के अनुसार आनलाइन आवेदन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति को माठ कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु निर्धारित वेबसाइट को आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु उक्त समय सारणी के अनुसार खोलने तथा इस पत्र को पूर्व संचालित महाविद्यालयों की कालेज लाग-इन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. पत्रावली।

  
कुलसचिव